प्रेस सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 59/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा)

भादूविप्रा ने " दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीपीआर-2018) की समीक्षा" पर परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियमन प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "दूरसंचार वाणिज्यिक सम्प्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2018 (टीसीसीपीआर-2018) की समीक्षा" पर सार्वजनिक टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए एक परामर्श पत्र जारी किया है।

टीसीसीपीआर-2018 को फरवरी 2019 में अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) के मुद्दे को संबोधित करने के लिए लागू किया गया था। ये विनियम उपभोक्ताओं को अवांछित प्रचार कॉल और संदेशों से बचाने का लक्ष्य रखते हैं, साथ ही व्यवसायों को उन ग्राहकों को लक्षित संचार भेजने की अनुमति देते हैं जिन्होंने सहमति दी है या उन्हें प्राप्त करने के लिए वरीयताएँ निर्धारित की हैं।

विनियामक ढाँचों के कार्यान्वयन के दौरान कुछ मुद्दे देखे गए हैं। इस परामर्श पत्र का उद्देश्य कार्यान्वयन के दौरान देखे गए मुद्दों को सामने लाना है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। इन मुद्दों से संबंधित विनियमों के प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है। परामर्श पत्र में चर्चा किए गए मुद्दों की व्यापक श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं-

- वाणिज्यिक संचार की परिभाषाएँ।
- शिकायत निवारण से संबंधित प्रावधान।
- यूसीसी डिटेक्ट सिस्टम और उसकी कार्रवाई।
- वित्तीय निरुत्साहन से संबंधित प्रावधान।
- प्रेषकों और टेलीमार्केटर्स से संबंधित प्रावधान।
- वॉयस कॉल और एसएमएस की उच्च संख्या का विश्लेषण।

भादूविप्रा उन क्षेत्रों पर सुझाव मांग रहा है जहां विनियमों को मजबूत किया जा सकता है, जिनमें स्पैम कॉल के माध्यम से जनता को परेशान करने वाले गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) के खिलाफ सख्त प्रावधान, बेहतर शिकायत निवारण तंत्र, अधिक प्रभावी यूसीसी पहचान प्रणाली, विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मजबूत वित्तीय निरुत्साहन, और प्रेषकों तथा टेलीमार्केटर्स के लिए संशोधित विनियम

शामिल हैं। परामर्श पत्र में यूसीसी को हतोत्साहित करने के लिए वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए अलग-अलग दरों की संभावना का भी पता लगाया गया है।

परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां 25 सितंबर 2024 तक आमंत्रित हैं। जवाबी टिप्पणियां, यदि कोई हो तो, 9 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ई-मेल पते advqos@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री जयपाल सिंह तोमर, सलाहकार (गुणवत्ता सेवा-2) से ईमेल आईडी advqos@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

अतुल चौधरी

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा